सं. ए-45011/4/2020-प्रशा.III

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

आर्थिक कार्य विभाग

***

नई दिल्ली, 27th जुलाई, 2020

<u>कार्यालय ज्ञापन</u>

अधोहस्ताक्षरी को एतद्द्वारा जून, 2020 के लिए आर्थिक कार्य विभाग के संबंध में महत्वपूर्ण नीति निर्णयों पर मासिक सार के अवर्गीकृत भाग को परिचालित करने का निदेश हुआ है।

सुरेन्द्र पाल सिंह

(सुरैन्द्र पाल सिंह)

संयुक्त सचिव, भारत सरकार

दूरभाष-23092100

अग्रेषण पत्र,

1. केंद्रीय मंत्री परिषद, भारत सरकार, नई दिल्ली के सभी सदस्य।
2. उपाध्यक्ष, नीति आयोग, योजना भवन, नई दिल्ली।
3. मंत्रिमंडल सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली।
4. भारत के राष्ट्रपति के सचिव, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली।
5. भारत के उप-राष्ट्रपति के सचिव, 6 मौलाना आजाद रोड, नई दिल्ली।
6. प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव, पीएमओ, साउथ ब्लॉक, नई दिल्ली।
7. अध्यक्ष, संघ लोक सेवा आयोग, धौलपुर हाउस, नई दिल्ली।
8. नीति आयोग, योजना भवन नई दिल्ली के सभी सदस्य।
9. मंत्रालयों/विभागों, भारत सरकार, नई दिल्ली के सभी सचिव।
10. एमओएस(एफ) के निजी सचिव, वित्त सचिव के प्रधान निजी सचिव, सचिव (आर्थिक कार्य) के प्रधान निजी, सचिव (राजस्व) के प्रधान निजी सचिव, सचिव (व्यय) के प्रधान निजी सचिव, सचिव (आर्थिक कार्य) के प्रधान निजी सचिव, सचिव (डीआईपीएएम) के प्रधान निजी।
11. मुख्य आर्थिक सलाहकार, आर्थिक कार्य विभाग।
12. अपर सचिव, (श्री ए गिरिधर), मंत्रिमंडल सचिवालय, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली।
13. डॉ. सी.एस. मोहपात्रा, अपर सचिव (एमएस एंड सीएस), आर्थिक कार्य विभाग।
14. श्री के राजारमन, अपर सचिव)प्रशासन और निवेश(, आर्थिक कार्य विभाग।
15. श्री समीर कुमार खरे, अपर सचिव)एफबी एंडएडीबी(, आर्थिक कार्य विभाग ।
16. सुश्री मीरा स्वरूप, एएस एंड एफए)वित्त(।
17. श्री ए एम बजाज, अपर सचिव (वित्त प्रबंधन), आर्थिक कार्य विभाग।
18. श्री संजीव सान्याल, प्रधान आर्थिक सलाहकार, आर्थिक कार्य विभाग।

19. आर्थिक कार्य विभाग में सभी प्रभागों के प्रमुख। संयुक्त सचिव (बजट)/संयुक्त सचिव (बीसी एंड आईईआर)/संयुक्त सचिव (निवेश)/सलाहकार (सीएंडसी/एफएसएलआर/एफएसएंडसीएस)/सलाहकार (आईईआर)/सीएए

20. श्री राजेश मल्होत्रा, अपर महानिदेशक)एमएंडसी(, वित्त मंत्रालय, नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली।

21. गार्ड फाइल-2020।

सं. ए-45011/4/2020-प्रशा.III

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

आर्थिक कार्य विभाग

***

विषय: जून, 2020 महीने के आर्थिक कार्य विभाग से संबंधित महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णयों पर मासिक सारांश।

1. वृहत्त -आर्थिक सिंहावलोकन

महत्वपूर्ण सूचना का विवरण अनुबंध में तालिकाबद्ध रूप में दिया गया है।

2. अन्य महत्वपूर्ण घटनाक्रम

2.1 (क) भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 में संशोधन: यह निर्णय लिया गया है कि भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 में हुए संशोधन दिनांक 1 जुलाई, 2020 से लागू होंगे और इसी आधार पर संपूर्ण भारत में प्रतिभूति बाजार उपकरणों के संबंध में स्टाम्प शुल्क के तार्किक एकत्रण तंत्र हेतु नियम बनाए गए हैं।

विनियमनकर्ताओं-आरबीआई और सेबी को केंद्र सरकार द्वारा भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 के अधीन परिपत्रों/प्रचालन दिशानिर्देशों को जारी करने का प्राधिकार दिया गया है ताकि दिनांक 1 जुलाई, 2020 से निर्बाध कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जा सके।

(ख) जून, 2020 माह के दौरान सेबी द्वारा निम्न महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए:

क्र. सं.	एजेंसी का नाम	दिनांक	महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णय
(i)	सेबी	16.6.2020	सेबी ने लगातार दो क्यूआईपी मामलों के बीच न्यूनतम 6 माह के अंतराल की आवश्यकता में ढ़ील देने के लिए सेबी (पूंजी तथा प्रकटीकरण आवश्यकताओं का मामला), 2018 में संशोधन किया है।

(ii)	सेबी	16.6.2020	सेबी ने कुछ शर्तों के अधीन 5 % से 10 % की सरकने वाली अधिग्रहण सीमा को बढ़ाने के लिए सेबी (शेयरों तथा अधिग्रहणों का पर्याप्त अधिग्रहण) विनियम, 2011 के कुछ प्रावधानों में अस्थाई रूप से ढ़ील दे दी है।
(iii).	सेबी	22.6.2020	सेबी ने कुछ शर्तों के अधीन पिछले दो सप्ताह के मूल्य के आधार पर तरजीही मामले के माध्यम से बाजार से धन जुटाने के लिए तनावग्रस्त कंपनियों के लिए ढांचे में ढ़ील दी है।
(iv)	सेबी	25.6.2020	सेबी बोर्ड ने खुली पेशकश की अवधि के दौरान बल्क और ब्लॉक सौदों के माध्यम से एस्क्रो में खुली पेशकश राशि का 100% जमा कराते हुए अधिग्रहण को पूरा करने के लिए सेबी (शेयरों और अधिग्रहणों के महत्वपूर्ण अधिग्रहण) विनियम, 2011 में कुछ संशोधनों को मंजूरी दी है।
(v)	सेबी	25.6.2020	सेबी बोर्ड ने निपटान नियमन, 2018 में कुछ संशोधनों को मंजूरी दे दी है, जिसमें आधार राशि की गणना के उद्देश्य से प्रमुख अधिकारी के साथ-साथ प्रमोटर्स को शामिल किया जाना है। इसके अतिरिक्त, नियम 18 के तहत निपटान नोटिस जारी करने के बजाय, समय बचाने के लिए, एक पैराग्राफ को कारण बताओ नोटिस में शामिल किया जाएगा, जो निपटान आवेदन दायर करने के विकल्प के बारे में सूचित करेगा।

2.2 (क) 750 मिलियन अमरीकी डॉलर के लिए सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम आपातकाल अनुक्रिया विकास नीति ऋण हेतु 12 जून, 2020 को विश्व बैंक के साथ चर्चा की गई।

(ख) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम की 500 मिलियन अमरीकी डॉलर की दिल्ली-मेरठ क्षेत्रीय तीव्र पारगमन परियोजना हेतु बहु-किस्त वित्तपोषण सुविधा की पहली किस्त पर 23 जून, 2020 को एडीबी के साथ चर्चा की गई।

(ग) भारत और विश्व बैंक के बीच 29 जून, 2020 को निम्नलिखित के लिए ऋण सहमतियों पर हस्ताक्षर किए गए: (i) 200 मिलियन अमरीकी डॉलर का तमिलनाडु आवास क्षेत्र सुदृढ़ीकरण कार्यक्रम; तथा (ii) 50 मिलियन डॉलर की तमिलनाडु आवास और पर्यावास विकास परियोजना।

2.3(क) भारत के कोविड-19 सामाजिक संरक्षण अनुक्रिया कार्यक्रम को गतिशील बनाने संबंधी परियोजना के लिए 200 मिलियन यूरो के क्रेडिट सुविधा करार/ऋण करार 18 जून, 2020 को आर्थिक कार्य विभाग और एएफडी के बीच किए गए।

(ख) त्रिपुरा- वन निर्भर समुदायों की वन पारिस्थितिकी, जैव-विवधता एवं अनुकूलन क्षमताओं की जलवायु नमनीयता परियोजना के लिए 23 मिलियन यूरो के ऋण करार तथा 1 मिलियन यूरो के अनुदान करार हेतु 19 जून, 2020 को आर्थिक कार्य विभाग और केएफडब्ल्यू के बीच हस्ताक्षर किए गए।

(ग) विभिन्न परियोजनाओं को वित्तपोषित करने के लिए 45.85 मिलियन यूरो के तकनीकी सहयोग तथा 959.20 मिलियन के वित्तीय सहयोग के लिए प्रतिबद्धता को औपचारिक रूप देने के लिए सरकार से सरकार के बीच वित्तीय सहयोग (एफसी) करार 2019 (आई) और तकनीकी सहयोग (टीसी) करार 2019 दिनांक 22.06.2020 को आर्थिक कार्य विभाग और जर्मनी के दूतावास के बीच हुआ।

2.4 भारतीय बैंक नोटों में मौजूदा सुरक्षा विशेषताओं की समीक्षा पिछली बार वर्ष 2005 में की गई थी। सरकार ने आरबीआई को आरबीआई अधिनियम 1934 की धारा 25 के अनुसार बैंक नोटों में नई सुरक्षा विशेषताओं को कार्यान्वित करने हेतु 16.06.2020 को आरबीआई के प्रस्ताव का अनुमोदन किया। संभावना है कि 31 मार्च, 2022 तक नई सुरक्षा विशेषताओं वाले भारतीय नोटों को सार्वजनिक तौर पर जारी कर दिया जाएगा।

2.5 आत्मनिर्भर भारत पैकेज के रूप में एनबीएफसी/एचएफसी/एमएफआई के लिए घोषित विशेष नकदी स्कीम का शीघ्र कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए वित्तीय स्थिरता एवं साइबर सुरक्षा प्रभाग (एफएसएवंसीएस) वित्तीय सेवाएं विभाग और भारतीय रिजर्व बैंक के साथ परामर्श में सभी आवश्यक कार्रवाई कर रहा है।

2.6 एनडीबी के भारतीय क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित करने के लिए भारत सरकार तथा एनडीबी के बीच करार में सुधार और मंत्रिमंडल टिप्पणी पर हस्ताक्षर हेतु अनुमोदन की स्थिति: अंतिम मंत्रिमंडल टिप्पणी 26.06.2020 को मंत्रिमंडल सचिवालय को प्रस्तुत की।

2.7 अधिकार प्राप्त आर्थिक और कल्याण उपाय समूह को माह के दौरान सचिवीय सहायता प्रदान की गई।

2.8 जून, 2020 के दौरान निम्नलिखित महत्वपूर्ण बैठकें आयोजित की गईः-

i. सचिव (आर्थिक कार्य) ने 8.6.2020 को आरबीआई तथा अन्य हितधारकों के साथ स्ट्रेटेजिक प्लानिंग ग्रुप (एसपीजी) की 6वीं बैठक की अध्यक्षता की। कोरोना-19 महामारी की स्थिति को देखते हुए, लोगों में करेंसी नोट तथा सिक्कों की बाधारहित आपूर्ति तथा उत्पादन इकाईयों की व्यापार निरंतरता को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।

ii. सचिव (आर्थिक कार्य) ने गवर्नर, आरबीआई की अध्यक्षता में 18 जून, 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से आयोजित वित्तीय स्थिरता तथा विकास परिषद् (एफडीएससी-एससी) की उप-समिति की 24वीं बैठक में भाग लिया। सचिव (आर्थिक कार्य) के साथ डीईए की ओर से मुख्य आर्थिक सलाहकार, अपर सचिव (एफएसएंडसीएस) तथा सचिव (एफएसडीसी) ने भी भाग लिया। बैठक में अन्य बातों के साथ-साथ अर्थव्यवस्था और वित्तीय स्थिरता, अंतर नियामक समन्वय और वित्तीय क्षेत्र विकास के मूल्यांकन पर चर्चा की गई।

iii. सचिव (आर्थिक कार्य) ने श्री शक्तिकांत दास, गवर्नर की अध्यक्षता में दिनांक 26.06.2020 को वीडिया कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से आयोजित भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के केंद्रीय बोर्ड की 583वीं बैठक में भी भाग लिया। वित्तीय सेवा विभाग के सचिव ने भी अन्य निदेशक मण्डल के साथ इस बैठक में भाग लिया। इसमें समग्र व्यापक आर्थिक स्थितियों पर चर्चा हुई-घरेलू और वैश्विक दोनों; वित्तीय क्षेत्र की स्थिति; कोविड-19 महामारी के संबंध में आरबीआई द्वारा उठाए गए विभिन्न मौद्रिक, विनियामक और अन्य उपायों का प्रभाव; वर्तमान आर्थिक स्थिति और महामारी द्वारा विकास चुनौतियां। बोर्ड ने अवधि (जुलाई 2019-जून 2020) के दौरान रिजर्व बैंक की गतिविधियों, अगले वर्ष जुलाई 2020 से मार्च 2021 (सरकार के वित्त वर्ष के साथ समायोजित) के बजट, अन्य नीति और परिचालन मामलों पर भी चर्चा की।

iv. सचिव (आर्थिक कार्य) ने फिनटेक पर तीसरी आईएमएससी बैठक की अध्यक्षता की जो 9 जून, 2020 को आयोजित की गई थी।

v. 2 जून, 2020 को डॉ. सी.एस. महापात्रा, अपर सचिव (एफएसएंडसीएस) ने सचिव (आर्थिक कार्य) की ओर से एफएसबीसी की मानक कार्यान्वयन पर स्थायी समिति (एससीएसआई) की अप्रत्यक्ष बैठक के लिए वैबेक्स कॉल में भाग लिया। कार्यान्वयन निगरानी कार्य बल (आईएमटीएफ) द्वारा मसौदा प्रस्ताव, कि किस प्रकार कार्यान्वयन निगरानी का समर्थन और आगे बढ़ने का सुनियोजन किया जाए और जर्मनी की समकक्ष समीक्षा रिपोर्ट जैसे मुद्दे प्रमुख थे, जिन पर चर्चा की गई।

vi. डॉ. सी.एस. महापात्रा, अपर सचिव (एफएसएंडसीएस) ने 26 जून, 2020 को टेलीकान्फ्रेसिंग के जरिए आयोजित हुई, श्री रांडल के. क्वारलस, गवर्नर एवं यू.एस. फेडरल रिजर्व के उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में एफएसबी पूर्ण बैठक में भाग लिया था। बैठक में अन्य बातों के साथ-साथ कोविड-19 से संबंधित नवीनतम वित्तीय स्थिरता घटनाक्रम, वित्तीय प्राधिकारियों की नीतिगत प्रतिक्रिया एवं सीमापार तथा क्षेत्रों के बीच समन्वय हेतु क्षेत्रों पर चर्चा की गई।

vii. एडीबी एवं विश्व बैंक द्वारा सहायता प्राप्त चालू एवं आने वाली परियोजनाओं की समीक्षा करने के लिए संबंधित देशीय निदेशक के साथ श्री समीर खरे, अपर सचिव (एफबीएवं एडीबी) की सह-अध्यक्षता में (वीडियो कॉन्फ्रेस के जरिए) त्रिपक्षीय पोर्टफोलियो बैठक आयोजित की गई थी। [10 जून; विश्व बैंक पाईपलाईन: 16-17 जून: सतत् विश्व बैंक; 18-19 जून सतत् एडीबी; एवं 24 जून: एडीबी पाईपलाईन] ।

viii. श्री समीर खरे, अपर सचिव (एफबीएवं एडीबी) ने 11 जून, 2020 को विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिए आर्थिक कार्य विभाग जांच समिति की 107वीं बैठक की अध्यक्षता की थी।

ix. श्री समीर खरे, अपर सचिव (एफबीएवं एडीबी) ने 22 जून, 2020 को पीएम-एएसबीवाई परियोजना हेतु विदेशी सहायता की आवश्यकता पर चर्चा करने के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए एक बैठक की अध्यक्षता की थी जिसमें बहुपक्षीय एवं द्विपक्षीय एजेंसियां शामिल हुई थीं।

x. आर्थिक कार्य विभाग ने 12 जून, 2020 को चालू भारत-कोरिया सीईपीए उन्नयन वार्तालाप के तहत सूचियों के आदान-प्रदान से संबंधित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में भाग लिया जो कि डीओसी के तत्वावधान के अतंर्गत कोरिया से आयोजित हुई थी।

xi. भारत एवं उज्बेकिस्तान के बीच द्विपक्षीय निवेश संधि (बीआईटी) पर चर्चा करने के लिए दूसरे दौर की बीआईटी वार्ता 10-11 जून, 2020 को आयोजित की गई थी।

xii. दूरस्थ आईडीए बैठक 24 जून, 2020 को आयोजित हुई थी जिसमें निदेशक (विश्व बैंक) द्वारा भाग लिया गया था तथा आईएमएफ-एसएआरटीटीएसी की चौथी जांच समिति बैठक 3 जून, 2020 को आयोजित की गई थी जिसमें निदेशक (आईएफएफ) ने भाग लिया था।

xiii. राष्ट्रीय निवेश एवं अवसंरचना कोष लिमिटेड (एनआईआईएफटीएल) की बोर्ड बैठक 22.06.2020 को आयोजित की गई थी।

xiv. एनआईआईएफटीएल की बोर्ड बैठक 18.06.2020 को आयोजित हुई थी।

3. न्यूनतम सरकार, अधिकतम शासन

विशेष रूप से, सूचना प्रस्तुत करने में आईसीटी के उपयोग को प्रोत्साहित किया जा रहा है।

4. एसीसी निदेशों / आदेशों का गैर-अनुपालन

शून्य

5. महीने के दौरान एफडीआई के प्रस्तावों को मंजूरी दी गई और विभाग में एफडीआई प्रस्तावों की अनुमोदन की स्थिति प्रतीक्षित है।

विभाग में प्रतीक्षित अनुमोदन : 07

*****

महत्वपूर्ण आर्थिक विकास
(सारणीबद्ध रूप में)

सारणी 1: सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि (प्रतिशत)

	2017-18 द्वितीय सं.अ.	2018-19 प्रथम सं.अ.	2019-20 पि.अ.
वास्तविक	7.0	6.1	4.2
सांकेतिक	11.1	11.0	7.2

सारणी 2: सतत जीवीए की वृद्धि(2011-12) मूल्य (प्रतिशत)

•	• 2017-18 • द्वितीय सं.अ.	• 2018-19 • तृतीय सं.अ.	• 2019-20 • पि.अ.
• कृषि और संबद्ध क्षेत्र	• 5.9	• 2.4	• 4.0
• उद्योग	•	•	•
• खनन और उत्खनन	• 4.9	• -5.8	• 3.1
• विनिर्माण	• 6.6	• 5.7	• 0.03
• बिजली, गैस, पानी की आपूर्ति और अन्य उपयोगिता सेवाएं	• 11.2	• 8.2	• 4.1
• निर्माण	• 5.0	• 6.1	• 1.3
• सेवाएं	•	•	•
• व्यापार, होटल, परिवहन, संचार और प्रसारण से जुड़ी सेवाएं	• 7.6	• 7.7	• 3.6
• व्यवसायिक, रियल स्टेट और वृत्तिक सेवाएं	• 4.7	• 6.8	• 4.6

• लोक प्रशासन, रक्षा और अन्य सेवाएं	• 9.9	• 9.4	• 10.0
• बुनियादी मूल्य पर जी.वी.ए.	• 6.6	• 6.0	• 3.9

आरई - संशोधित अनुमान

सारणी 3: जीडीपी और जीवीए की तिमाही वार वास्तविक विकास दर

2019-20				
	तिमाही1	तिमाही2	तिमाही3	तिमाही4
सकल घरेलू उत्पाद	5.2	4.4	4.1	3.1
सकल मूल्य वृद्धि	4.8	4.3	3.5	3.0

सारणी 4: मुद्रास्फीति - सीपीआई-सी, डब्ल्यूपीआई (प्रतिशत में)				
	मई-2019	मार्च-2020	अप्रैल-2020	मई-2020
सीपीआई-सी	3.05	5.84	-	-
डब्ल्यूपीआई	2.79	0.42	-	-3.21

टिप्पणी: अप्रैल और मई, 2020 के माह के लिए सीपीआई-सी आंकड़े और अप्रैल, 2020 के लिए डब्ल्यूपीआई के आंकड़े, कोविड -19 महामारी और उसके परिणामस्वरूप लॉक-डाउन के कारण डाटा संग्रह में व्यवधान हेतु उपलब्ध नहीं हैं।

सारणी 5: मौद्रिक विकास	
मद	19 जून 2020
पॉलिसी रेपो दर	4.00
10- वर्ष जी-द्वि सममूल्य उपज (एफवीआईएल)	5.86
बैंक ऋण वर्ष दर वर्ष वृद्धि #	6.2

टिप्पणी: # 5 जून, 2020 की स्थिति के अनुसार

सारणी 6:व्यापारिक व्यापार निष्पादन (सीमा शुल्क आधार पर) (बिलियन अमरीकी डॉलर)			
	निर्यात	आयात	व्यापार संतुलन
मई, 2019	30.0	45.4	-15.4
मई, 2020	19.1	22.2	-3.1

सारणी 7: सेवा व्यापार निष्पादन (बिलियन अमरीकी डॉलर)			
अप्रैल, 2020	16.5	9.3	7.2
स्रोत: वाणिज्य विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 15.05.2020 के अनुसार अनंतिम डाटा।			

सारणी 8: भुगतान शेष		
मदें	2018-19 तिमाही 3	2019-20 (पी) तिमाही3
चालू खाता शेष (बिलियन अमरीकी डॉलर)	-17.8	-1.4
चालू खाता शेष / जीडीपी (प्रतिशत)	-2.7	-0.2
स्रोत: भारतीय रिजर्व बैंक		

सारणी 9: विदेशी मुद्रा भंडार (बिलियन अमरीकी डॉलर)	
मार्च, 2020	477.8
12 जून, 2020	507.6
स्रोत: भारतीय रिजर्व बैंक	

सारणी 10: भारतीय रुपए की विनिमय दर (विदेशी मुद्रा का प्रति इकाई रुपए)				
	अमेरिकी डॉलर	पौंड स्टर्लिंग	यूरो	जापानी येन
22 जून 2020	76.0620	94.2074	85.1935	71.1300
स्रोत: भारतीय रिजर्व बैंक				

सारणी 11: बाह्य ऋण (बिलियन अमरीकी डॉलर)			
	दिसम्बर 2018 पीआर के अंत तक (1)	दिसम्बर 2019 पी के अंत तक (2)	प्रतिशत भिन्नता [(2/1)-1]*100
कुल बाह्य ऋण बकाया	521.2	563.9	8.2
स्रोत: दिसंबर, 2019 के अंत तक बाह्य ऋण पर त्रैमासिक रिपोर्ट, आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय।			

सारणी 12: औद्योगिक उत्पादन की विशेषताएं		
मासिक वृद्धि	मार्च-2019	मार्च-2020
औद्योगिक उत्पादन बढ़त दर (आईआईपी)	2.7	-18.3
संचयी वृद्धि	2018-19	2019-20
अप्रैल-मार्च	3.8	-0.8
स्रोत: एनएसओ एमओएसपीआई द्वारा जारी त्वरित अनुमान, (2011-12 की नई श्रृंखला पर आधारित)		

सारणी 13: आठ प्रमुख उद्योग		
मासिक वृद्धि	अप्रैल-2019	अप्रैल -2020
आठ प्रमुख उद्योगों की बढ़त	5.2	-38.1
संचयी वृद्धि	2018-19	2019-20
अप्रैल-मार्च	4.4	0.4
स्रोत: डीपीआईआईटी, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय		

****